न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 133/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री गणेशलाल पिता स्व. श्री रूपलाल जी मेघवाल निवासी सिहाडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री हीरालाल पिता स्व. श्री रूपलाल जी मेघवाल निवासी सिहाडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री गंगाबाई पत्नी स्व. श्री रूपलाल जी मेघवाल निवासी सिहाडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. सुशीला पुत्री स्व. श्री रूपलाल जी पत्नी तुलसीराम जी मेघवाल निवासी शोभाजी का खेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
5. दुर्गा पुत्री स्व. रूपलाल जी पत्नी केशुलाल जी मेघवाला निवासी नान्दवेल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
6. रम्बाबाई पत्नी स्व. श्री देवीलाल जी मेघावाल निवासी सिहाड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री बाबूलाल पिता स्व. श्री देवीलाल जी मेघवाल निवासी सिहाडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री डालचन्द पिता स्व. श्री देवीलाल जी मेघवाल निवासी सिहाडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
9. मांगीबाई पुत्री स्व. श्री देवीलाल जी, पत्नी प्रभूलाल जी मेघवाल निवासी करगेट भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री बसन्ती बाई पुत्री स्व. श्री टीलाजी पत्नी श्री हरिराम जी मेघवाल निवासी भमरासिया तहसील वल्लभनगर, हाल सिहाडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 24–12–2008 प्रकरण संख्या 243/2007 वाद

————

उपस्थित :—1— श्री दया मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट्स

2— श्री सत्यप्रकाश व्यास अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1

3— श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 2,3

——————/——————

निर्णय **दिनांक 24—01—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 वादिया द्वारा वरदीबाई व सरकार के विरूद्ध धारा—88 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सराय में स्थित आराजी नंबर 157, 160 कूल किता—2 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि वरदीबाई के नाम दर्ज है। यह भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या—1 के संयुक्त अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति है तथा मोरूस कसना के समय से चली आ रही है। कानिया की पत्नी दलुड़ी भी फोत होकर वह लाओलाद मर चुका है। कसना के दूसरे पुत्र टीला के एक पुत्र भेरा की पत्नी प्रतिवादी संख्या—1 वरदी है तथा वादिया बसन्तीबाई टीला की पुत्री है तथा टीला की अन्य पुत्री मेहताबबाई 25 वर्ष पूर्व मर चुकी है। कसना जी के देहान्त बाद टीला के छोटे पुत्र व नाबालिग होने के कारण भूमियां कानिया के नाम ही दर्ज हो गई तथा कानिया जी के जीवनकाल में ही टीला का निधन हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कानिया 1/2 हिस्से पर टीला के पुत्र भेरा, पुत्रियां मेहताबर्बा व बसन्तीबाई संयुक्त रूप से काबिज हो गये तथा कानिया जी का निधन होने के बाद उनकी पत्नी का पूर्व में ही निधन हो जाने के कारण भूमि के मालिक भेरा, मेहताबबाई व बसन्तीबाई बने। परन्तु भेरा ने समस्त भूमियों का नामानतरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया तथा टीला का पुत्र होते हुए भी स्वयं को कानिया का पुत्र दर्ज करवा लिया। मेहताबबाई का भेराजी के जीवनकाल में ही 25 वर्ष हुए निधन हो गया, और मेहताबबाई के बाद उसके हिस्से की संपत्ति भेरा व वादिया में निहित हो गई अर्थात विवादित भूमियों में वादिया का 1/2 हिस्सा है, जिसकी घोषणा कर विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या—1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के एक—तरफा साक्ष्यों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 24—12—2008 से वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30—11—2016 को पेश की गई।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। अतएव उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। अतएव मयाद कण्डोन की जाय, ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मेहताबबाई के उत्तराधिकारी है। अतएव हितबद्ध व आवश्यक व व्यथित पक्षकार है, जिन्हें सुने बिना व पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार हुए बिना उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय। अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया बसन्तीबाई ककी तहरह ही मेहताबबाई भी उत्तराधिकारी थी, परन्तु अधिनथ न्यायालय ने वादिया बसन्तीबाई द्वारा मेहताबबाई के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया । तद्नुसार अपीलान्ट आवश्यक, हितबद्ध व व्यथित पक्षकार है। अतएव दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री सत्यप्रकाश व्यास ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 व 3 की और से राजकीय अधिवक्ता औपचारिक रूप से उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादिया द्वारा मेहताबबाई के 2 पुत्र रूपलाल व देवीलाल के वारिसान अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना मिलि–भगती से निर्णय करवा लिया है। जबकि विवादित आराजीयात में उनका भी वादिया रेस्पोन्डेन्ट बसन्तीबाई के समान 1/2 हिस्सा है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अनिस्थ न्यायालय में

वादिया रेस्पोन्डेन्ट –1 द्वारा वादपत्र की कम संख्या–3 में स्वयं यह अंकित किया है कि ***"टीला का निधन हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कानिया का एवं 1/2 हिस्से पर टीला के पुत्र भेरा, एवं पुत्रियां मेहताबबाई, बसन्तीबाई का संयुक्त रूप से कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा था"।*** तद्नुसार यह सुस्पष्ट होता है कि वादिया स्वयं यह मानती है कि विवादित भूमियों पर मेहताबबाई भी टीलाजी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में भूमि पर काबिज थी, तद्नुसार स्पष्टतया मेहताबबाई अपने जीवनकाल में उक्त भूमियों की उत्तराधिकारी बन चुकी थी। आश्चर्यजनक रूप से वादिया रेस्पोन्डेन्ट द्वारा मेहताबबाई को सजरे में फोत बता दिया, परन्तु उसके वारिसान को सजरे में अंकित नहीं किया। जबकि उपरोक्त विवेचनानुसार भूमियां मेहताबबाई में न्यस्त/निहित हो चुकी थी। स्पष्टतया अधिनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोन्डेन्ट द्वारा तथ्यों को छुपाकर मेहताबबाई के वारिसान को सुने बिना निर्णय प्राप्त किया है, जो तथ्यात्मक एंव विधिक रूप से दूषित निर्णय है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2008 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को भी प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधि–सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर